

प्रवीण कुमार व अन्य बनाम विक्रम सिंह व अन्य

प्र0सं0—: 122/2024(रे0वाद)

निर्णय दिनांक— 21/12/2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या— 122/2024 रे.वाद

दायर दिनांक — 26/12/2024

निर्णय दिनांक— 21/12/2025

अनवान

1. प्रवीण कुमार पुत्र नटवरलाल जाति कंसारा आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र शैलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
3. भगवतसिंह पुत्र गरवरसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
4. राधेश्याम पुत्र मोहनलाल जाति कंसारा आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
5. लादुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति कलाल आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

वादीगण

बनाम

1. विक्रमसिंह पुत्र भगवतसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी पनोतिया मार्ग जोगरास जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

प्रतिवादीगण

उपरिस्थित:-

वादी की ओर से — श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से — श्री उग्रप्रतापसिंह, अधिवक्ता।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत किया वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम चारनीया पटवार मण्डल कामली भू.अभि.नि. क्षेत्र देवगढ़ तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद में खाता संख्या 60 आराजी संख्या 145 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

प्रवीण कुमार व अन्य बनाम विक्रम सिंह व अन्य

प्र०सं०-: 122/2024(रे०वाद)

निर्णय दिनांक:- 21/12/2025

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	नरेन्द्रसिंह पिता शैलसिंह राजपूत हिस्सा पूर्ण सा० मोयणा खातेदार	145/1	0.0240	चाही-।
	योग	किता-01	0.0240	-
2.	भगवतसिंह पिता गरवरसिंह हिस्सा पूर्ण राजपूत सा० मोयणा खातेदार	145/2	0.0240	चाही-।
	योग	किता-01	0.0240	-
3	नरेन्द्रसिंह पिता शैलसिंह हिस्सा 1/2 राजपूत, भगवतसिंह पिता गरवरसिंह हिस्सा 1/2 राजपूत सा० मोयणा खातेदार	145/3	0.0020	चाही-।
	योग	किता-01	0.0020	-
4	प्रवीणकुमार पिता नटवरलाल हिस्सा 1/3 कंसारा, राधेश्याम पिता मोहनलाल हिस्सा 1/3 कंसारा सा० देवगढ़, लादूलाल मेवाड़ा पिता रामचन्द्र हिस्सा 1/3 कलाल सा० देवगढ़ खातेदार	145/4	0.0750	चाही-।
	योग	किता-01	0.0750	-
5	विक्रमसिंह पिता भगवतसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा० पनोतिया मार्ग, जोगरास जिला भीलवाड़ा	145/5	0.0250	चाही-।
	योग	किता-01	0.0250	-
	सर्वयोग	किता-05	0.1500	-

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 21/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर लोक अदालत में सुनाया गया।



(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)

सहायक कलेक्टर देवगढ़

जिला राजसमन्व

प्रवीण कुमार व अन्य बनाम विक्रम सिंह व अन्य
प्र0सं0—: 122 / 2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक:— 21 / 12 / 2025
अंतिम डिक्री

गूल वाद गे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठारीन अधिकारी :- मोहकम सिंह सिनसिनवार आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :- 122 / 2024

अनवान

1. प्रवीण कुमार पुत्र नटवरलाल जाति कंसारा आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र शैलसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
3. भगवतसिंह पुत्र गरवरसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
4. राधेश्याम पुत्र मोहनलाल जाति कंसारा आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
5. लादुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति कलाल आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

वादीगण

बनाम

1. विक्रमसिंह पुत्र भगवतसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी पनोतिया मार्ग जोगरास जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

प्रतिवादीगण

उपरिथत:-

वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से - श्री उग्रप्रतापसिंह, अधिवक्ता।

में इस आशय में दिनांक 21/12/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि कृषि भूमि ग्राम चारनीया पटवार मण्डल कामली भू.अभि.नि. क्षेत्र देवगढ़ तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद में खाता संख्या 60 आराजी संख्या 145 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपरिथत होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

प्रवीण कुमार व अन्य बनाम विक्रम सिंह व अन्य

प्र0सं0-: 122 / 2024 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 21 / 12 / 2025

बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	नरेन्द्रसिंह पिता शैलसिंह राजपूत हिस्सा पूर्ण सा0 मोयणा खातेदार	145 / 1	0.0240	चाही-।
	योग	किता-01	0.0240	-
2.	भगवतसिंह पिता गरवरसिंह हिस्सा पूर्ण राजपूत सा0 मोयणा खातेदार	145 / 2	0.0240	चाही-।
	योग	किता-01	0.0240	-
3	नरेन्द्रसिंह पिता शैलसिंह हिस्सा 1/2 राजपूत, भगवतसिंह पिता गरवरसिंह हिस्सा 1/2 राजपूत सा0 मोयणा खातेदार	145 / 3	0.0020	चाही-।
	योग	किता-01	0.0020	-
4	प्रवीणकुमार पिता नटवरलाल हिस्सा 1/3 कंसारा, राधेश्याम पिता मोहनलाल हिस्सा 1/3 कंसारा सा0 देवगढ़, लादूलाल मेवाड़ा पिता रामचन्द्र हिस्सा 1/3 कलाल सा0 देवगढ़ खातेदार	145 / 4	0.0750	चाही-।
	योग	किता-01	0.0750	-
5	विक्रमसिंह पिता भगवतसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा0 पनोतिया मार्ग, जोगरास जिला भीलवाड़ा	145 / 5	0.0250	चाही-।
	योग	किता-01	0.0250	-
	सर्वयोग	किता-05	0.1500	-

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।



21/12/25
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक सहायक कलेक्टर
जिल्हा देवगढ, जिला राजसमन्द